

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 93/2022(2022/296)

1. मन्दाराम पुत्र राकाम जाति रेयर निवासी पीपलिया तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रार्थी

❖ बनाम ❖

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री नवल किशोर पारीक

पेरफार् सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम पीपलिया तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत् 2071-74 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
23-15	496	0.08	वारानी 2
	497	0.20	वारानी 2
	498	0.19	वारानी 2
	500	0.20	वारानी 2
	502	0.02	वारानी 2
	503	0.04	गै.मु.खड़डा
	504	0.05	वारानी 2
	505	0.57	वारानी 2
	506	0.07	वारानी 2
	किता 9	कुल रकबा 1.42	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे कारत स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कब्जा कारत निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 6.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारा व



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)


अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम पीपलिया तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 23-15 के खसरा संख्या 496,497,498,500,502,503,504,505,506 रकबा 0.08,0.20,0.19,0.20,0.02, 0.04,0.05,0.57,0.07 हैक्टर, कुल किता 9 कुल रकबा 1.42 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुन्नाया गया।




(विकारा पंचोली)
उपस्थान्त अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)